(544)

न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

रा निगरानी सागर/भू.रा/2017/ 3196

आशीष कुमार जैन पिता लटोरी लाल जैन
निवासी जैन मंदिर के सामने महाकाली वार्ड देवरी
तह0 देवरी जिला सागर म.प्र. - रिवीजनकर्ता

//विरुद्ध//

1. अनिल कुमार जैन पिता लटोरी लाल जैन उम्र 50 वर्ष
निवासी महाकालीवार्ड देवरी तह0 जिला सागर
2. अरविंद कुमार जैन पिता लटोरी लाल जैन उम्र 45 वर्ष
निवासी 137 ए शांतिनाथ नगर भुसावल महाराष्ट्र
3. राजकुमार जैन पिता लटोरी लाल जैन [redacted]. उपयंत्री
निवासी ग्राम ढीमरखेड़ा कटनी जिला कटनी म.प्र.
- उत्तरवादीगण

श्री ... तिवारी
एडवोकेट द्वारा
... प्रस्तुत
28/8/17

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता -

उत्तरवादी/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम राजस्व अपील प्रकरण क्र. 10अ/6-16-17 में पारित आदेश दिनांक - 31.7.2017 से दुखी होकर उक्त रिवीजन पत्र माननीय न्याया...

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3196

अशीष कुमार जैन विरूद्ध अनिल कुमार जैन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार देवरी, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 10/अ–6/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–09–2019 को ~~कलेक्टर~~ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	